न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–35 / 2020

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम छोटे लाल पासवान

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25/2/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–71 / म0नि0को0 दिनांक–12.01.2020 से प्राप्त बहादुरपुर (फेकला ओ0पी0) थाना कांड सं0–619 / 19 दिनांक 09.12.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन सी0डी0 डीलक्स मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR7E-0636 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में वाहन स्वामी मनोज कुमार, पिता–झिंगुर यादव को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल को गश्ती के दौरान सूचना मिली कि ग्राम चक्का के वरूण कुमार ठाकुर, पिता–राम विलास ठाकुर जो अशोक पेपर मिल के तरफ से प्लास्टिक के बोरा में दो कार्टून शराब लेकर बलहा टावर की ओर जा रहा है। सूचना के सत्यापन हेतु बलहा टावर चौक पर पहुँचे तो देखे कि मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति पश्चिम की ओर से आ रहा है, जिसे रोकने का इशारा किया तो मोटरसाईकिल सवार अपनी मोटरसाईकिल तेजी से भगाने लगा। रोड पर गड्ढ़ा रहने कारण उसकी मोटर साईकिल गड्ढ़ा में पलट गयी, जो मोटरसाईकिल छोड़कर बलहा गाँव में भाग गया। इसी क्रम में शोर शराबा होने कारण ग्रामीण उपस्थित हो गये, जिन लोगों के समक्ष मोटरसाईकिल में लदे बोरा को खोला गया, तो दो कार्टून शराब जिसमें एक पेटी में 180*ml* का 48 पीस ऑफिसर च्वाईस ब्लु, दूसरा पेटी में 375*ml* का 24 पीस ऑफिसर च्वाईस ब्लु विदेशी शराब बरामद हुआ, जिसे विधिवत् जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी उक्त वाहन के स्वामी दिनांक 07.06.2019 से पूर्व थे। उक्त तिथि को शपथ पत्र एवं अन्य कागजात के माध्यम से शिव शक्ति कुमार, पिता–वरूण ठाकुर के हाथ उक्त वाहन BR7E-0636 को बेच दिया। अतः विपक्षी को उक्त वाद से मुक्त किया जाय। उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त मोटरसाईकिल रजि0नं0– BR7E-0636 से शराब का परिवहन कर ले जाने के क्रम में उक्त मोटरसाईकिल पर लदे बोरे में से कुल 24 पीस 375*ml* तथा 48	

पीस 180ml का अवैध शराब बरामद किया गया, जिसे पुलिस बल द्वारा उक्त मोटरसाईकिल के साथ विधिवत् जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि उन्होंने उक्त जब्त वाहन को दिनांक 07.06.2019 को ही बेच दिया। उन्हें उक्त वाहन से कोई मतलब नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उक्त वाहन के विमुक्ति हेतु दावा नहीं किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में बहादुरपुर (फेकला ओ0पी0) थाना कांड सं0–619/19 दिनांक 09.12.2019 में जब्त वाहन सी0डी0 डीलक्स मोटरसाईकिल रजि0 नं0– BR7E-0636 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा